कृष्ण बसंती

आरएनआई पं. क्रं
T/MP/2024/0815/9239/1118

अंतरराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

मूल्यः 250 /- रूपये

वर्ष- 1 अंक - 12, जुलाई - 2025
Vol - I, Issue No. XII
July - 2025

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड एवं पियर रिव्यूड शोध पत्रिका

THOMSON REUTERS

6.8
Impact Factor
2025

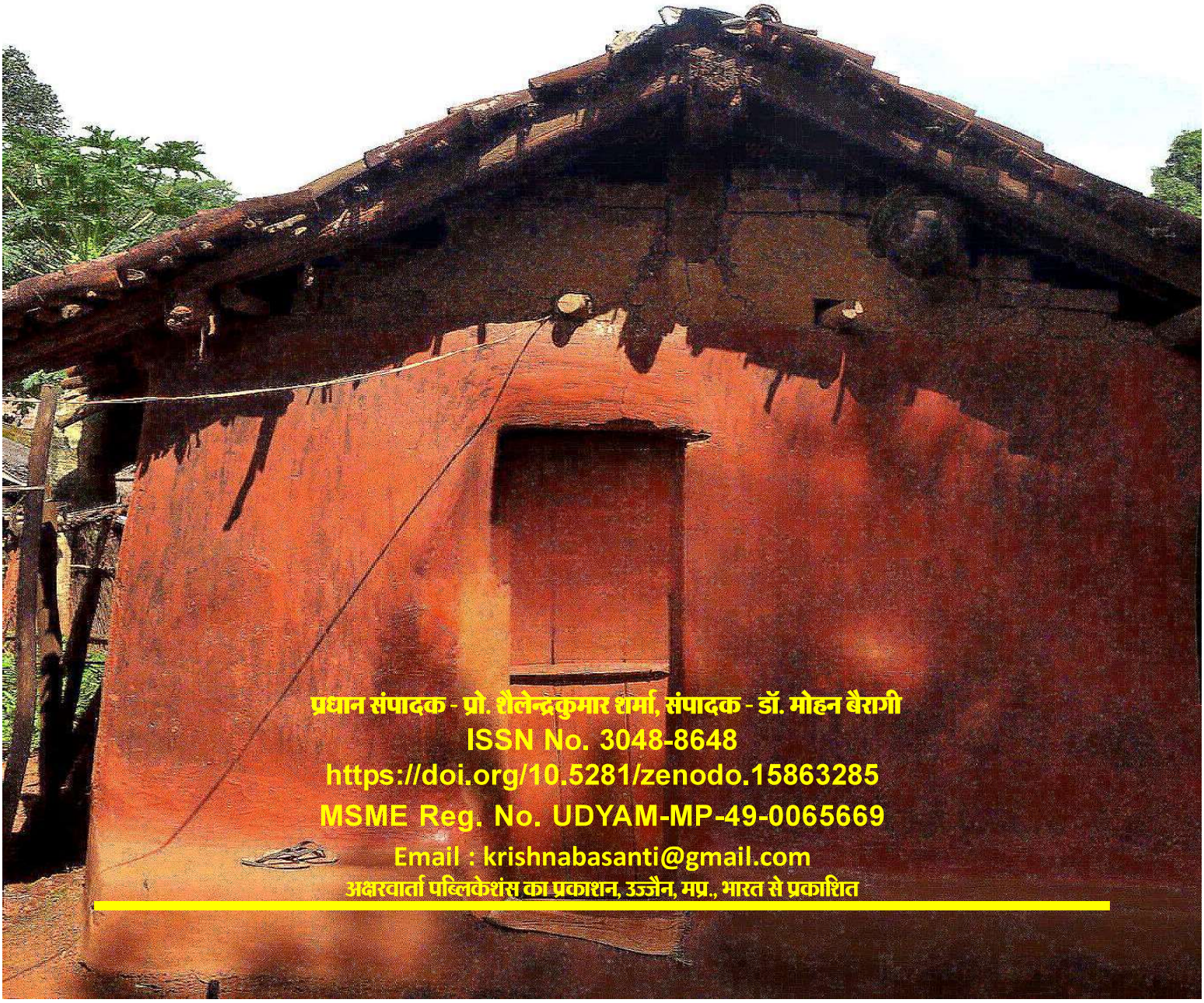

प्रधान संपादक - प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा, संपादक - डॉ. मोहन बैरागी
ISSN No. 3048-8648
https://doi.org/10.5281/zenodo.15863285
MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0065669

Email : krishnabasanti@gmail.com

अक्षरवार्ता पब्लिकेशंस का प्रकाशन, उज्जैन, मप्र., भारत से प्रकाशित

मासिक पत्रिका

कृष्ण बसंती

आरएनआई पं. क्रं T/MP/2024/0815/9239/1118 मूल्यः 100 /- रूपये

ISSN No. 3048-8648

वर्ष- 1 अंक - 12 , जुलाई- 2025

Vol - I, Issue No. XII

July - 2025

6.8 Impact Factor 2025

THOMSON REUTERS

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

प्रधान संपादक - प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा

संपादक - डॉ. मोहन बैरागी

व्यवस्थापक- आराध्य बैरागी

संपादक मंडल :-

प्रो. जगदीशचंद्र शर्मा
डॉ.राजू सी. पी.
डॉ. रूपाली सारये
डॉ. विजय कुमार सोनिया
डॉ. श्री कांत मिश्रा
डॉ. जिल्सा टी. एन.
डॉ. श्रवण कुमार सोलंकी
प्रो. मोहसिन अली खान
डॉ. दीपशिखा
डॉ. मो. मजिद मियाँ, पश्चिम बंगाल
डॉ. विष्णु प्रसाद शर्मा
डॉ. संदीप सिंह मुंडे

सहायक सम्पादक :-

डॉ.भेरुलाल मालवीय
डॉ. अंजली उपाध्याय
डॉ. उपेन्द्र भार्गव
डॉ. पराक्रम सिंह
डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना

International Editorial Board

Dr. I Made Dian Saputra, S.S., M.Si
Vice director of the Postgraduate program of UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Dr. I Dewa Ayu Hendrawathi Putri
HoD, Masters in Communication Science Hindu State University of I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Dr. I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika, S. Pd.
HoD, English Language Education Department Hindu State University of I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Dr. I Ketut Arta Widana, S.S., M. Par.
Lecturer of Tourism Department,Hindu State University of I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

विशेषज्ञ सलाहकार समिति

डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल 'शरद आलोक' (नार्वे), जय वर्मा (यू के), डॉ. रामदेव धुरंधर (मॉरीशस), डॉ. स्नेह ठाकुर (कनाडा) प्रो. गुणशेखर गंगाप्रसाद शर्मा (चीन), डॉ. अलका धनपत (मॉरीशस), प्रो. टी. जी. प्रभाशंकर प्रेमी (बैंगलुरू), प्रो. अब्दुल अलीम (अलीगढ़), प्रो. आरसु (कालिकट), डॉ. रवि शर्मा (दिल्ली), डॉ. सुधीर सोनी (जयपुर), डॉ. अनिल सिंह (मुंबई),

सह संपादक

डॉ. उषा श्रीवास्तव (कर्नाटक), प्रो. डॉ. किरण खन्ना (अमृतसर, पंजाब)

संपादकीय कार्यालय का पता :-
43, क्षीर सागर,द्रविड मार्ग,उज्जैन,मप्र. 456006,भारत
मोबाईल नं. **8989547427, 6264400265**
Email: krishnabasanti@gmail.com, website : www.krishnabasanti.com

नोट :- कृष्ण बसंती शोध पत्रिका में सभी पद मानद व अवैतनिक है।/ शोध पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों में लेखकों के अपने विचार है, संपादक मंडल का इससे सहमत होना आवश्यक नही हैं।

संपादक मंडल / Editorial Board

Dr. RAJU C. P
Associate Professor and Head, (Research Supervisor)
Department of Hindi,
St. Aloysius College Elthuruth Thrissur Kerala
(Affiliated to University of Calicut)

(2)
Dr. Rupali Sarye
Assistant Professor, Hindi
Rajbhasha Adhikari
School of Language
Tulnatmak Sanskriti evam Bhasha Adhyayanshala
Takshashila parisar, Khandwa Road, Indore, M.P.

(3)
Dr, Vijay Kumar Soniya
Assistant Professor, English
Govt. Arts and Science College,
Opposite To Nagar Nigam, Ratlam, M.P., India

(4)
Dr. Shri Kant Mishra
Asst. Professor (History)
Govt. Maharaja Martand College
Kotma, Distt- Anuppur (M.P.)Pin- 484334

(5)
Dr. JILSA. T. N
Assistant Professor,
Department of Mathematics Education,
Calicut University Teacher Education Centre,
Chalakudy P.O, Thrissur-Kerala, Pin: 680307

(6)
Dr. Sharwan Kumar Solanki
Assistant Professor, Hindi
Govt. College, Unhel, Distt- Ujjain, M.P.

(7)
Prof. Mohsin Ali Khan
Graduate, Post Graduate department & Research Centre
College :- J S M College, Alibag, Raigardh, Maharashtra

(8)
Dr. Deepshikha
Assistant Professor, Sanskrit
Manyawar Kanshira, Rajkiya College, Gabhana, Aligarh, U.P.

(9)
Dr. Md Mazid Mia
Assistant Professor, HIndi
Shree Agrasen Mahavidyalaya
Agrasen College, Bhusamani, West Bengal 854317, India

(10)
Dr. Vishnu Prasad Sharma
Vice-Principal & Associate Professor
Parishkar college, Jaipur
Near Metro Mas Hospital, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur

(11)
Dr. Sandeep Singh Munday
Principal (Permanent & Approved by MGSU,Bikaner)
Guru Hargobind Sahib PG College
C.C. Head, Dist. Sri Ganganagar (Raj.)-335022

(12)
MEMON SOHEL MD YUSUF
Lecturer in Accounting and Finance
College of Economics and Business Administration
University of Technology and Applied Sciences
Nizwa, Sultanate of Oman

शोध आलेख प्रकाशन संबंधी नियम

शोध आलेख 2000 से 3000 शब्दों का होकर यूनिकोड मंगल अथवा कृतिदेव 10 में 12 के फॉन्ट साइज में ही भेजें। शोध आलेख एपीए एमएलए फार्मेट में होना आवश्यक होकर फुटनोट व रिफ्रेंसेस के साथ भेजना आवश्यक है। अंग्रेजी माध्यम के शोध–पत्र टाईम्स न्यु रोमन (Times New Roman) ,एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम 2000 की शब्द संख्या के साथ कृष्ण बसंती के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध–पत्र मौलिक होने के घोषणा–पत्र के साथ हस्ताक्षर कर कृष्ण बसंती के कार्यालय को प्रेषित करें। शोध आलेख का प्रकाशन रिव्यू कमेटी द्वारा अनुसंशा के आधार पर किया जावेगा।

पुस्तकों से संदर्भ देने के लिए क्रम

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम; पुस्तक का शीर्षक (इटैलिक्स में; प्रकाशक का नाम और पूरा पता (प्रकाशन का वर्ष) कोष्ठक में; पृष्ठ संख्या ....।

द्विवेदी,हजारी प्रसाद, कबीर, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, चौदहवीं आवृति, 2014, पृ. 108

पत्रिकाओं के संदर्भ

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम। लेख का शीर्षक। जर्नल का शीर्षक/नाम (इटैलिक्स में)। वॉल्यूम। संस्करण (महिना, वर्ष): पृष्ठ संख्या। प्रकाशन मीडिया।

वेबसाइट के उद्धरण का प्रारूप

लेखक का अंतिम नाम (सरनेम), पहला नाम। ''पृष्ठ का शीर्षक।''

क्षेत्र शीर्षक। (साईट) प्रकाशित करने वाली कंपनी। (युआरएल) तथा सर्च डेट (अभिगमन तिथि)।

पुस्तक, पत्रिका, आवधिक, वेबसाइट आदि) के शीर्षक को इटैलिक में लिखें।

शोध आलेख के साथ प्लेगरिज़्म रिपोर्ट / स्व घोषणा पत्र (आलेख की मौलिकता व अप्रकाशित होने के संदर्भ में) अवश्य भेजें।

आलेख की वर्ड और पीडीएफ दोनों फाइल् अनिवार्य रूप से भेजें।

शोध आलेख प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आगामी माह के अंक के लिए स्वीकार्य होंगे।

शोध आलेख का प्रकाशन रिव्यू कमेटी द्वारा अनुसंशा के आधार पर किया जावेगा।

I/ We wish to subscribe the Journals. Total Amount : 3000/- (Three Thousand only)(INR), (Normal Post) and/or 3600/- (Thirty six Hundred) for (Registerd Post) Registration Fee. All fee and Subscriptions are payable in advance and all rates include postage and taxes. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. Issues will be sent on receipt of payment. Subscriptions are entered on an annual basis and are subject to renewal in subsequent years.

Subscription from:..............to..............SUBSCRIBER TYPE:(Check One) Institution( )/Personal ()Date:..............Name/Institution and Address :..City : ....State :.........................PinCode................................ Country .... PhoneNo .:............. MobNo.:............................ Mail id...

PAYMENT OPTION:

DD in the favor of "AKSHARWARTA" payable at UJJAIN.

DD No.: ....Dated : ....for Rupees (in words) ....Drawn on ....Any other option Specify :.........................

शोध–पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध–पत्र 2000–3000 शब्दों से अधिक नही होना चाहिये। ०. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कृतिदेव 010 (Kruti Dev 010) या युनिकोड मंगल फोंट में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। ०. अंग्रेजी माध्यम के शोध–पत्र टाईम्स न्यु रोमन (Times New Roman) ,एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में कृष्ण बसंती के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध–पत्र मौलिक होने के घोषणा–पत्र के साथ हस्ताक्षर कर कृष्ण बसंती के कार्यालय को प्रेषित करें। ०. Please Follow- APA/MLA Style for formatting कृष्ण बसंती का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 3000/–रूपये साधारण डाक से एवं 3600/– रूपये रजिस्टर्ड डाक से एवं प्रकाशन पंजीयन शुल्क रूपये 2000/– का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है।

शुल्क जमा करने के लिए –

Bank Details
UCO Bank
Account Holder- Krishna Basanti
Current A/c. No- 06860210005286
IFSC- UCBA0000686
Branch- Sabzi mandi, Ujjain, MP, India
--
UPI Number - 6264400265
Name- Aradhya Bairagi

Scan any QR using PhonePe App

******0265

संपादकीय कार्यालय का पता :–
43, क्षीर सागर,द्रविड मार्ग,उज्जैन,मप्र. 456006,भारत
मोबाईल नं. 8989547427
Email: krishnabasanti@gmail.com

अनुक्रम

» महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनका सामाजिक चिंतन
सर्वेशा देवी, डॉ. राकेश कुमार 07

» कवि श्यौराज सिंह 'बेचैन' के काव्य में दलित चेतना
नीलम, डॉ. मनु प्रताप 11

» बुंदेली लोक आख्यानों में निहित ऐतिहासिकता
प्रो. (डॉ.) धर्मेंद्र पारे, शिवम शर्मा 14

» वैदिक वाङ्गमय में मातुसंस्कृति
डॉ. दीपशिखा 19

» यथार्थ के कथाकार शेखर जोशी के साहित्य में बाल जीवन के संघर्ष
घनश्याम, डॉ. अंजन कुमार 21

» 'फाँस' : कृषक जीवन की महागाथा
लक्ष्मीन चौहान, डॉ. अभिनेष सुराना 23

» भूजल एवं नदियों के संरक्षण हेतु बांधों का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव एवं इससे बचने के उपाय
अवंतिका यादव, प्रो. शशि रानी 26

» मानवीय संवेदना का अंतःसंघर्ष : 'बाघ' के विशेष संदर्भ में
डॉ. श्रीनिता पी. आर. 30

» समकालीन हिन्दी कथा साहित्य में चित्रित 'किन्नर समस्या'
डॉ. दीपा कुमारी 32

» समाज में गीत परंपरा और नवगीत का प्रभाव
डॉ. राजू. सी. पी. 35

» हिमाचली लोक-साहित्य की अमूल्य निधि : लोक कहावतें
डॉ. भवानी सिंह 39

» कोविड 19 और सामाजिक दूरी : रिश्तों पर एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण
निकिता जायसवाल, प्रो. सत्येन्द्र नारायण 43

» स्वबोध के ध्वजवाहक : बलाई बुनकर समाज के कारीगरों का योगदान
नेहा मालवीय 47

» निर्मला पुतुल के साहित्य में आदिवासी संवेदना की पहचान
डॉ. वाघमारे खंडुजी हानवतराव 50

» कविकिङ·कर कृत 'गोविंदगीति :' काव्य कृति का साहित्यिक अनुशीलन
प्रो. कृष्ण बिहारी भारतीय 53

» निराला के कथा साहित्य की भाषिक संरचना का विश्लेषण
डॉ. नीतू राय 57

» निराला-काव्य में क्रांति एवं विद्रोह के स्वर
डॉ. वंदना 60

» पारंपरिक शिल्प के रूप में भदोही के कालीन उद्योग का अध्ययन
अरबिंद कुमार पाल 63

» राजस्थानी लोकनाट्य कुचामणी ख्याल प्रदर्शन के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति के प्रचार-प्रसार में पं. उगमराज खिलाड़ी का योगदान
रामकुमार 66

» भारतीय साहित्य में निहित मानवाधिकार
मीनाक्षी 69

» नागार्जुन के उपन्यासों की भाषिक विशिष्टता
अशोक क्रान्ति 73

» सुंदर कविराय : भक्ति युग का एक विस्मृत कवि
सन्तोष शिशौदिया, डॉ. ब्रजलता शर्मा 77

» राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का योगदान
श्री एम. संजीवी कनी, डॉ. पूर्णिमा श्रीनिवासन 80

» मुगलकालीन वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकीय परिवर्तन
रविशंकर कुमार चौधरी 83

» सर्वात्मवादी जीवन-दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में भारत और यूरोप
डॉ. आशुतोष कुमार मिश्रा 86

» नारी सशक्तिकरण में पुरूषों की भूमिका
डॉ. कल्पना अभिषेक पाठक 90

» भारतीय ज्ञान परंपरा और श्रीमद्भगवद्गीता का जीवन - दर्शन
प्रो. हिमानी सिंह 94

» बृहत्संहिता में वर्णित कृषि व्यवस्था
उपेन्द्र कुमार 98

» Women's Struggles in 19th Century English Novel : A Study of Jane Eyre
Dr. Damini Singh 100

» Formation and Evolution of Black Holes : an Astrophysical Study
Dr. Ved Prakash 102

» Employability Skill
Dr. Raghavendra L 107

Krishna Basanti International Research Journal
ISSN No. 3048-8648 MSME Reg. No. UDYAM-MP-49-0065669
https://doi.org/10.5281/zenodo.15863285 | Thomson Reuters Impact Factor 6.8
Vol - I, Issue - XII, July - 2025

कृष्ण बसंती अंतरराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
कृष्ण बसंती

राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का योगदान

श्री एम. संजीवी कनी
डॉ. पूर्णिमा श्रीनिवासन

1. शोधार्थी, वेल्स इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स टेक्नॉलजी एंड अड्वान्स्ड स्टडीज (VISTAS), चेन्नै, तमिलनाडु
2. शोध निर्देशिका, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वेल्स इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स टेक्नॉलजी एंड अड्वान्स्ड स्टडीज (VISTAS), चेन्नै, तमिलनाडु

राजभाषा, किसी देश या राज्य द्वारा अपने राजकाज में प्रयोग के लिए चयनित एवं घोषित भाषा है, जिसे सरकारी कामकाज में उपयोग किया जाता है। आम तौर पर देश के अधिकांश जनता द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। उस तारीख से राजभाषा हिंदी पल्लवित-पुष्पित होकर आज विश्वपटल में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 14 सितंबर को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा, माह आदि विभिन्न समारोह मनाए जाते हैं। समारोह में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी एवं आवश्यक समर्थन करने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।इनके अधीन गृहपत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। हिंदी गृहपत्रिकाओं के माध्यम से कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र में किए गए प्रयासों एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से कार्यालयीन, नगर स्तर पर, विभागीय तथा मंत्रालय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक गतिविधियां सुचारू रूप से आयोजित की जा रही हैं। ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में गृह-पत्रिकाओं के प्रकाशन की अहम भूमिका होती है। इस शोध-पत्र में 'राजभाषा कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में गृह-पत्रिकाओं के योगदान' के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

गृह-पत्रिका-अर्थ एवं परिभाषा:-राजभाषा के संदर्भ में गृह-पत्रिका से तात्पर्य है कि कार्यालय या संस्थान से संबद्ध विषयों पर कर्मचारियों के बीच आंतरिक परिचालनार्थ, नियमित अंतराल पर प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है। गृह-पत्रिकाओं के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य है कर्मचारियों को कार्यालय / संसथान की अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराना, कर्मचारियों की सृजन-शक्ति एवं लेखन क्षमता को प्रेरित करना है।

गृह-पत्रिका के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं- यथा

विकीपीडिया के अनुसार,'गृह-पत्रिका, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में आंतरिक व विभागीय प्रचार के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिका है।'[1]

हिंदवी वेबसाइट के अनुसार,'गृह-पत्रिका, किसी संस्थान अथवा समुदाय के उद्देश्य विशेष के लिए प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है।'[2]

लेखक डॉ. माणिक मृगेश के अनुसार 'राजभाषा पत्रिकाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए राजभाषा गतिविधियों तथा अप्रकाशित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाते हुए राष्ट्र की सेवा में सतत रही हैं। आज राजभाषा पत्रकारिता राजभाषा की एक मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी है।'[3]

इससे यही अर्थ निकलता है कि गृहपत्रिकाएं,कार्यालय के कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार का महत्वपूर्ण साधन है जो कर्मचारियों को कार्यालय से संबंधित अद्यतन जानकारी देती है। कार्यालय की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ कर्मचारियों की लेखनकौशल को बढ़ावा देने का भी एक अद्भुत साधन है।

गृह-पत्रिका की आवश्यकता:-गृहपत्रिका की भाषा, प्रकाशन अवधि एवं स्वरूप आदि भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका उद्देश्य समान होगा। कार्यालय या संस्थान राष्ट्र व्यापी हो सकता है, जिसके विभिन्न कार्यालय यथा केंद्रीय या प्रधान कार्यालय, अंचल या क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय या उप-कार्यालय, शाखाएं,विभिन्न इकाइयां हो सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों / शहरों में स्थित कार्यालय के विभन्नि इकाइयों को एक-सूत्र में बांधने के लिए गृह-पत्रिकाओं का उद्गम किया गया। साथ-ही संस्थान के कार्यक्षेत्र की नवीनतम तकनीक, साधन या उत्पाद संबंधी अद्यतन जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में गृह-पत्रिकाएं अहम भूमिका निभाती हैं। कर्मचारी सुबह से शाम तक, सभी कार्यदिवसों में लगातार अपने नेमी / दैनंदिन कार्य करते हुए बोरियत का एहसास करते हैं। कार्यालयों द्वारा प्रकाशित गृह-पत्रिकाओं में लेख-आलेख, कहानी, कविता या अपनी चित्रकारी का योगदान करने पर अपनी बोरियत को मिटाने के लिए कार्यालयों की गृहपत्रिकाओं का योगदान अप्रतिम है। इसमें कर्मचारी विभिन्न लेख-आलेख कहानी, कविता चित्र का योगदान करके अपनी सृजन-शक्ति का प्रदर्शित करते हैं। उनकी सृजन शक्ति के लिए प्रोत्साहन एवंप्रेरणा स्रोत भी मिलती है।

गृह-पत्रिका के उद्देश्य:-गृहपत्रिकाओं के उद्देश्य के बारे में लेखक डॉ. माणिक मृगेश द्वारा लिखित-'राजभाषा प्रवृत्तियां' में उल्लेख किया है कि 'राजभाषा पत्रिकाओं का प्रथम उद्देश्य तो संबंधित विभाग की राजभाषिक गतिविधियों की सचित्र रिपोर्टिंग प्रकाशित कर उसे अपने सभी कर्मचारियों की जानकारी में लाना तथा देश के अन्य विभागों के राजभाषा विभागों को भी

अपनी गतिविधियों को परिचय कराना था। दूसरा बड़ा उद्देश्य इन पत्रिकाओं की पृष्ठभूमि में रहा-विभागीय अप्रकाशित प्रतिभाओं की सर्जक क्षमता को तलाशना-तराशना।'[4]

महामहिम भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत संसदीय राजभाषा समिति नौवें खंड की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कार्यालयों द्वारा हिंदी गृहपत्रिकाएं प्रकाशित करने का उद्देश्य निम्नानसुार है कि-'सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुकर हो और अधिकारी / कर्मचारीगण अधिक से अधिक इस ओर आकर्षित हो इस प्रयोजन के लिए सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का निदेश जारी किया। ..... गृह पत्रिकाएं निकालने से उनका मूल उद्देश्य कर्मचारियों की साहित्यकि कौशल का पत्रिकाओं के माध्यम से उभारने का प्रयास व कार्यालय की घटनाओं, गतिविधियों तथा समाचारों से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए सुखद वातावरण प्रदान करना।'[5]

श्री हरिबाबू कंसल द्वारा लिखित 'राजभाषा नीति कार्यान्वयन' में उल्लिखित किए गए अनुसार हिंदी गृहपत्रिका स्वरूप इस प्रकार हो कि-'किसी विभाग द्वारा हिंदी पत्रिका का प्रकाशन तभी सार्थक है जब उससे वहां के कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रेरणा भी मिले। यह उद्देश्य दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए।'[6]

हिंदी पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के लेखन कौशल को बढावा देना और कार्यालयीन गतिविधियों से गृहपत्रिकाओं के पाठकों को अवगत करवाना है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा प्रकाशित गृह-पत्रिकाओं में कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री हिंदी की होनी चाहिए। हिंदी गृह-पत्रिकाओं का संपादन सामान्यतः राजभाषा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

गृह-पत्रिका का स्वरूप:-प्रकाशन करने वाले कार्यालयों एवं उद्देश्य के अनुरूप गृह-पत्रिकाएं विभिन्न स्वरूप की होती हैं। गृहपत्रिकाओं की प्रकाशन अवधि तिमाही, छमाही या वार्षिक होती हैं। कभी,विशेष अवसर पर किसी मुख्य विषय से केंद्रित गृह-पत्रिकाओं के विशेषांक भी प्रकाशित होती हैं। कर्मचारियों के लेखन-कौशल को बढावा देते हुए गृह-पत्रिकाओं में विभिन्न साहित्यिक-विधाओं यथा लेख- आलेख, निबंध, कहानी, कविता, चुटकुले,पुस्तक समीक्षा,यात्रा-वृतांत, संस्मरण, विभिन्न विषयों से संबंधित रोचक तथ्य इत्यादि का समावेश किया जाता है।

गृहपत्रिकाओं के स्वरूप के संबंध में,संसदीय राजभाषा समिति की नौवें खंड की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 'गृह पत्रिकाओं की सूचनापरक होने के साथ-साथ लेखों की विषय सामग्री रोचक, तथ्यपरक, अद्यतन एवं उपयोगी होने के साथ-साथ भाषा सरल और सहज होती है। कई पत्रिकाएं अपने विभाग से संबंधित परिदृश्य को परिलक्षित करने में सफल है तो दूसरी पत्रिकाएं आज के समय से जुड़े सामान्य पहलुओं की जानकारी देती हैं।'[7]

गृहपत्रिकाओं का विषय:-गृहपत्रिकाओं में कार्यालय के कामकाज से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कार्यालय की गतिविधियों,सरकारी कल्याण योजनओं और उन योजनाओं की प्रगति की जानकारी होती है। गृह-पत्रिकाओं में प्रबंधन, प्रशासन, लेखा, साहित्य और तकनीकी साहित्य से जुड़े लेख होते हैं। गृहपत्रिकाओं की रूपरेखा के अनुरूप आवरण पृष्ठ और विषयसूची के बाद आम तौर पर पत्रिका के संरक्षक और संपादकों के विचार प्रस्तुति होती हैं। कर्मचारियों के लेखन कौशल के प्रदर्शन के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यालयीन गतिविधियां, उपलब्धियां, प्रोत्साहन योजनाएं,कार्यालय में आयोजित विभिन्न समारोह की रिपोर्टें होती है।

गृहपत्रिकाओं के प्रयोजन:-गृहपत्रिकाएं, कार्यालय या संस्थान के उच्च प्रबंधन के विचारों एवं नई संकल्पनाओं को कर्मचारियों के बीच परिचालित करने के लिए एक सक्षम संचार माध्यम है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी यथा हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रगति विवरण, तिमाही हिंदी कार्यशालाओं, समारोह, संगोष्ठी एवं सम्मेलन के आयोजन विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है।

भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन नीति जो कि प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार हिंदी गृहपत्रिकाओं के प्रकाशन में भी लागू किया जाता है। हिंदी गृहपत्रिकाओं के प्रकाशन एवं विमोचन के बाद पत्रिका में लेख-आलेख का योगदान किए सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यालय-प्रमुख द्वारा चाय-नाश्ते सहित अल्पाहार बैठक का आयोजन करके उन्हें प्रमाणपत्र एवं नकद पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जाता है। इससे कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ता है और हिंदी में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होता है।

हिंदी गृहपत्रिकाओं में लेख-आलेख आदि का योगदान करते हुए सक्रिय सहभागिता किए स्टाफ सदस्यों को राजभाषा हिंदी में अपना दैनिक कार्य करने की क्षमता एवं आत्म विश्वास बढ़ता है। ऐसे स्टाफ सदस्यों को हिंदी कार्यशालाओं में डेस्क कार्य हिंदी में करने के लिए अभ्यास उन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त होने पर वे अपना कार्य हिंदी में करने लगते हैं विशेषतः हिंदीतर भाषा-भाषियों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु रुचि पैदा होती है।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम यथा हिंदी कार्यशालाएं,समारोह, संगोष्ठी एवं सम्मेलन आदि गतिविधियों की रिपोर्ट हिंदी गृहपत्रिकाओं में सचित्र प्रकाशित की जाती हैं। कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के विजेता विवरण एवं उन्हें प्रदत्त पुरस्कार या सम्मान संबंधी रिपोर्ट संपूर्ण कार्यालय में प्रसारित करने के माध्यम के रूप में भी हिंदी गृहपत्रिकाएं उपयोगी सिद्ध होती हैं। राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभन्नि लक्ष्यों की प्राप्ति में भी हिंदी गृहपत्रिकाओं का प्रकाशन सहयोगी होती हैं।

संसदीय राजभाषा समिति के नौवें रिपोर्ट के अध्याय 13 पैरा 10 में गृहात्रिकाओं का प्रयोजन के बारे में उल्लिखित है कि 'गृहपत्रिकाओं के प्रकाशन से राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। पत्रिकाओं के प्रकाशन से एक ओर जहां अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी लेखन प्रतिभा उजागर करने के लिए एक सशक्त मंच मिलता है वहीं दूसरी ओर ये पत्रिकाएं मंत्रालयों / विभागों / संस्थानों के कार्यकलापों एवं जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर कर सभी को नई-नई सूचनाओं से लाभान्वित करती हैं।'[8]

निष्कर्ष:-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा भारती', राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित प्रथम गृहपत्रिका है जिसका प्रवेशांक अप्रैल 1978 में प्रकाशित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 15.02.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034 / 13 / 88 - रा.भा.(पत्रिका - एकक) के अनुसार राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में राजभाषा संबंधी महत्वूपर्ण आदेशों एवं निर्णयों का सारंश, राजभाषा कार्यानवयन में हुई प्रगति, राजभाषा संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट और स्टाफ सदस्यों द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक,

औद्योगिक व आर्थिक विषयों पर लिखित मौलिक लेखोंको गृहपत्रिकाओं में शामिल किए जा सकते हैं। तदनुसार लगभग सभी सरकारी कार्यालय हिंदी गृहपत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। सरकारी कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग, भारत सरकार के वेबसाइट में ऑनलाइन माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वहीं कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृहपत्रिकाओं को भी भारत सरकार के वेबसाइट में ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तम हिंदी गृहपत्रिकाओं को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'प्रदान किया जाता है। कार्यालयों से संबंधित मुख्यालय स्तर पर भी उत्तम हिंदी गृहपत्रिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हिंदी गृहपत्रिकाओं के नियमित प्रकाशन, कार्यालय के अधिकतम सदस्यों द्वारा लेख-आलेख आदि के योगदान के माध्यम से,वास्तव में कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण निर्मित होता है। कर्मचारी द्वारा हिंदी गृहपत्रिकाओं में योगदान के लिए अपना विचार स्वतंत्र रूप से रखने के अनुभव से अपना दैनिक कार्य यथा पत्राचार, टिप्पणी और फाइलों में अपना कार्य हिंदी में आसानी से कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप हिंदी पत्राचार, टिप्पणी लेखन इत्यादि से संबंधित लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। विशेष रूप से हिंदीतर क्षेत्र में हिंदीतर भाषा-भाषियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए उत्सुकता / आत्मविश्वास बढ़ता है। अनेक सरकारी कार्यालयों में हिंदी गृहपत्रिकाओं के प्रकाशन के परिणामस्वरूप राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रयोग में वृद्धि होती है।

संदर्भ सूची:-

1. राजभाषा की प्रवृत्तियां - डॉ. माणिक मृगेश - वाणी प्रकाशन, दिल्ली - प्रथम संस्करण - 2006
2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत नौवें खंड की रिपोर्ट - अध्याय 13 - पैरा 13.9 और 13.19
3. राजभाषा नीति कार्यान्वयन - श्री हरिबाबू कंसल - प्रकाशक: सुधांशु बंधु, दिल्ली - चौथा संस्करण - 2004